# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/35-38 श्योपुर, दिनांक 01.04.2020

## आदेश

नोवेल कोरोना वायरस बीमारी (COVID-19) के प्रकोप व संक्रमण के बचाव हेतु जिले के किये गये लॉकडाउन किया गया है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कुछ सामाजिक व्यक्ति संस्थाये जिले में अपने स्तर से सड़क पर या अन्य स्थानो पर भोजन पैकेट, किराना, सामग्री या अन्य प्रकार की वस्तुओं का वितरण आमजन में किया जा रहा है तथा प्रशासन को सहयोग राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वयं घर से बाहर आकर सहयोग राशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह एक पुनीत कार्य है किन्तु इससे कोरोना वायरस को रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान हेतु सामाजिक दूरी नहीं बन पा रही है तथा यह स्थिति दान ग्रहिताओं तथा दानदाताओं दोनो के लिये घातक हो सकती है और इससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की संभावनाये बढ़ जाती है।

लॉकडाउन का मुख्य उद्धेश्य सामाजिक दूरी बनाये रखकर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकना है। सामाजिक व्यक्तियो एवं संस्थाओं को आर्थिक मदद एवं सामग्री इस प्रकार उपलब्ध कराते हुये लॉकडाउन को सफल बनाना है कि सामाजिक दूरी बनी रहे। इस अभियान को सफल बनाने में व्यापार संघ, मजदूर संघ, प्रशासनिक अमला, सामाजिक संस्थाये, सामाजिक व्यक्ति एवं आमजन के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सामाजिक दूरी बनाये रखने के उद्धेश्य से लॉकडाउन दौरान सामाजिक संस्थाये एवं व्यक्ति बिना प्रशासनिक अनुमति के अपने स्तर से सीधे आमजन में किसी प्रकार की सामग्री, भोजन पैकिट आदि वितरण नहीं कर सकेगें तथा जो भी सामाजिक संस्थाये व्यक्ति/दानदातागण जरूरत मंदो के लिये खाद्य सामग्री, भोजन पैकिट, नगद राशि, चैक, इत्यादि प्रदाय करना चाहते है, वह श्री ओ.पी. पाण्डेय जिला कार्यक्रम अधिकारी श्योपुर (नोडल अधिकारी) से मोबाईल नं. 9575551151 पर सम्पर्क कर सकता है या फिर सहायता राशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा स्टेशन रोड श्योपुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के नाम से संचालित जनभागीदारी खाता क्रमांक 39141792949 आईएफसी कोड क्रमांक एसबीआईएन 0030089 में ऑनलाइन में जमा करा सकते है। श्री ओ.पी. पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्योपुर दानदाताओं से खाद्य सामग्री, भोजन पैकिट, नगद राशि, चैक, उसके निवास स्थान से या बताये गये स्थान से प्रशासनिक अमले द्वारा प्राप्त करा ली जायेगी तथा जरूरत मंदो में प्रशासन द्वारा वितरण करा दी जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रतिभा पाल)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक / एस.डब्ल्यू. / 2020 / 3539 श्योपुर दिनांक 01.04.2020
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना।
4. पुलिस अधीक्षक श्योपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर / विजयपुर / कराहल।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर / बड़ौदा / विजयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला श्योपुर।
10. श्री ओ.पी. पाण्डेय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्योपुर की ओर आदेशार्थ।
11. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय श्योपुर
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर / कराहल / विजयपुर।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर / विजयपुर / कराहल / वीरपुर / बड़ौदा।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर / बड़ौदा / विजयपुर।
15. समस्त सामाजिक संस्थाये ........................................ जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
16. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)